संख्या-13/2020/115/86-2020-52(सा0)/2019टीसी

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2020

विषयः-कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर देय रायल्टी के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में वैध परिवहन प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त/प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष नियमानुसार देय रायल्टी की कटौती उपखनिजों के आपूर्तिकर्ता के बिल से करते हुए उसे भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सुसंगत लेखाशीर्षक/मद में जमा कराया जाना कार्यदायी संस्थाओं का दायित्व है। इस संबंध में निरीक्षण आदि से यह संज्ञान में आया है कि ठेकेदारों द्वारा ई0एम0एम0-11 का दुरूपयोग किया जा रहा है, यथा- ई0एम0एम0-11 की फोटो कापी कराकर या फोटाशाप करके तथा एक ही प्रपत्र का कई स्थानों व अमान्य स्थान हेतु उपयोग कर अपने बिलों का भुगतान कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किया जा रहा है। इससे रायल्टी की क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है। इसकी रोकथाम के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत उपखनिज सही स्रोत व सही परिवहन प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध हों, अवैध खनन/अवैध प्रपत्र द्वारा खनिज की आपूर्ति किए जाने के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाए व प्रश्नगत अनियमित क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर देय रायल्टी के भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1). कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 की अनुसूची-1 के अनुसार) की कटौती कर उसे कार्यदायी विभाग अपने खाते में आरक्षित करेंगे।

(2). कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराया जायेगा, जहॉ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किया गया है/कराया जा रहा है। परिवहन प्रपत्रों के उक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही किए जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाए जाने पर ठेकेदार के बिल से रायल्टी के मद में कटौती की गयी धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के सत्यापन के उपरान्त उसे त्रुटिपूर्ण/अवैध पाये जाने पर रायल्टी मद में कार्यदायी संस्था द्वारा काटी गयी धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3). खनिज विभाग द्वारा परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त परिवहन प्रपत्र को अपने पोर्टल पर चिन्हांकित कर फ्लैग किया जायेगा, ताकि एक ही परिवहन प्रपत्र (ई-एम0एम0-11) अलग-अलग कार्यदायी संस्थाओं में उपयोग न किया जा सके।

(4). उक्त प्रक्रिया समयबद्ध ढ़ग से पूर्ण किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन अधिकतम 07 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गयी धनराशि में से अवैध परिवहन प्रपत्रों से सम्बन्धित धनराशि को अधिकतम् 15 दिन के अन्दर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाषीर्षक ''0853-अलौह'' खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क-01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क'' में हस्तान्तरित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत करा दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर देय रायल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व के आदेशों/निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या :115(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या-1569/एम-31ए11-लेखा-परीक्षा/17(कार्यदायी संस्था), दिनांक 03.01.2019 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासन द्वारा अधिकृत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को भी अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
विशेष सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in